फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

गोगीदेवी बनाम जालाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 277/21 सन 2021

तारीख हुक्म	**हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज**	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.2021	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री कैलाश सारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजो का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किय गया। प्रार्थीनी की खातेदारी की भूमि ग्राम बोड़वा पटवार मण्डल हल्का बोड़वा भू अभिलेख निरीक्षक नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु मे आई हुई है। प्रार्थीनी के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थीनी की भूमि में निर्माण करने एवं दखलअन्दाजी करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 19.10.2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा बोड़वा पटवार मण्डल हल्का बोड़वा भू अभिलेख निरीक्षक नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 372 रकबा 4.6299 हेक्टयर, खसरा नं. 376 रकबा 04 बिस्वा, ख.नं. 710/375 रकबा 1.1685 हेक्टयर ख.नं. 708/372 रकबा 5.8248 हेक्टयर, ख.नं. 707/372 रकबा 2.9124 हेक्टयर की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार बेचान, रहन व हस्तातंरण नहीं करें तथा न ही प्राथीर्नी को जबरन बेदखल करें तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभय पक्षकारन् पाबन्द करे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 19.10.2021 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
19/10/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनके डिलीवरी रसीदें पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/02/2022 को पेश हो।	19/10/21 ARClou Bm Rmga Cham

03/02/2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 14/03/2022 को पेश हो।

14/03/2022

प्रार्थीनी के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक- 27/04/2022 को पेश हो।

27/04/2022

प्रार्थीनी के वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/06/2022 को पेश हो।

15/06/2022

प्रार्थीनी के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। श्रीमान पीठासीन अधिकारी कालोमय कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-17/08/2022 को पेश हो।

07/07/2022

प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या- 1 उपस्थित। प्रार्थीनी स्वयं द्वारा प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब करवाकर अपना मूल वाद विड्रोवल कर लिया है। इसलिए उक्त आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः प्रार्थीनी के उक्त स्थगन आवेदन को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

सवाम,